रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1983 (वैशाख 10, 1905)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1983 (VAISAKHA 10, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	373
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	585
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	7
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	611
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1043
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	1929
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य संविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	113
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	175
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	8497
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	289
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	77
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2369
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	75
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	373
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	585
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	611
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1043
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1929
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative tests in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	113
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	175
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	8497
PART III—SECTION 2.— Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	289
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	77
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2369
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	75
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल, 1983

सं० 29-प्रेज/83—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नरेन्द्र सिंह भदोरिया,
सर्किल निरीक्षक, मोरेना,
जिला मोरेना,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया :

1 जनवरी, 1979 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि डकैत कप्तान मल्लाह का गिरोह, गांव शिवलाल-का-पुरा में रघुनाथ गूजर के मकान में उपस्थित था। पुलिस बल को चार पुलिस दलों में विभाजित किया गया। तीन दलों का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक कर रहे थे और चौथे पुलिस दल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक कर रहे थे । श्री नरेन्द्र सिंह भदोरिया पुलिस दल संख्या 3 का नेतृत्व कर रहे थे। 3 डकैतों को खेतों में घेर लिया गया । लेकिन इससे पहले कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता, उन्होंने शेष डकैतों को सावधान कर दिया, जिन्होंने रघुनाथ गूजर के मकान में शरण ले रखी थी। श्री भदोरिया ने मुख्य द्वार से मकान में प्रवेश किया। डकैत कप्तान मल्लाह ने एक नीची दीवार के पीछे शरण ले रखी थी और बच कर भाग निकलने की कोशिश कर रहे दो डकैतों को आड़ देने के लिए उसने अपनी मशाल तैनात कर रखी थी । खतरे की चिन्ता न करते हुए श्री भदोरिया डकैत कप्तान मल्लाह पर झपटे और निशाना बांधने वाली मशाल को ठोकर मारी। फिर हाथापाई हुई जिसके दौरान डकैत नेता गोली लगने से मारा गया ।

श्री नरेन्द्र सिंह भदोरिया ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 जनवरी, 1979 से दिया जाएगा ।

सं० 30-प्रेज/83—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला भिंड,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया :

7 फरवरी, 1980 को 16.30 बजे श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी ने पुलिस अधीक्षक को सूचित किया कि उनको नजदीक के गांव के खेतों में डकैत बलवान सिंह के गिरोह के कुछ लोगों की उपस्थिति के विषय में पक्की सूचना है । यह गिरोह गडरिया गिरोह के नाम से जाना जाता था । पुलिस अधीक्षक से निर्देश प्राप्त होने पर श्री रघुवंशी ने थाने में उपलब्ध समस्त बल को एकत्र किया और बिना समय खोये घटनास्थल की ओर बढ़े। प्राप्त सूचना यह थी कि 5/6 डकैत गांव छम्बावाली के नजदीक विष्णु नाई के खेतों में छिपे हुए हैं । उप निरीक्षक ने बल को चार दलों में विभाजित किया और डाकुओं को तीन दिशाओं से घेरने और उन्हें खेतों से बाहर भगाने का कार्यक्रम बनाया। दल सं० 1 का नेतृत्व पुलिस उप निरीक्षक श्री पी० एस० चौधरी कर रहे थे और दल नं० 2 का नेतृत्व श्री सोहन सिंह जबकि दल सं० 3 का नेतृत्व श्री छेदा सिंह कर रहे थे । डाकुओं को बाहर निकालने वाले दल का नेतृत्व स्वयं श्री रघुवंशी कर रहे थे। डकैतों को दलों ने तीन दिशाओं से घेर लिया और दल सं० 4 ने उन्हें गांव छम्बावाली से बाहर खदेड़ना शुरू किया। जब डकैतों ने देखा कि वे चारों तरफ से घिर गये हैं तो उन्होंने उन्हें खदेड़ने वाले दल पर भारी गोली बारी की बौछार शुरू कर दी। गोली बारी से श्री रघुवंशी द्वारका ब्राह्मण के खेतों में डकैतों की स्थिति का पता लगा सके। अरहर की फसल की आड़ में वे अपने दल के साथ रेंगते हुए डकैतों के मोर्चे की तरफ बढ़े और उनके 10/15 कदम नजदीक पहुंच गए । डकैत लखपत ने श्री रघुवंशी पर गोली चलायी। गोली उप निरीक्षक के समक्ष लगभग 3 गज दूर पर गिरी। इससे पहले कि डाकू दूसरी गोली चलाएं, श्री रघुवंशी ने अपनी 12 बोर गन से दो बार गोली चलायी और डाकू लखपत को गिरते हुए देखा । दलों ने डकैतों पर गोली बारी करना जारी रखा । 19.15 बजे गोली बारी बन्द हुई। खेत की तलाशी ली गयी और दो शव पाये गए। 33 सक्रिय और 18 खाली राउण्डों के साथ एक एन० पी० बोर गन के साथ एक शव को पड़ा हुआ पाया गया और दूसरे शव को 12 बोर गन के आधा बैरल के साथ पाया गया। शवों की शिनाख्त करने पर एक शव गडरिया गिरोह के नेता लखपत ब्राह्मण का और दूसरा शव कालन उर्फ गोविन्द सिंह काछी का पाया गया। श्री रघुवंशी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, रेंगते हुए डकैतों के सामने गए ताकि वे बेहतर मोर्चा संभाल सकें और अपने जीवन को खतरे में डालकर, उन्होंने कुख्यात डाकू लखपत ब्राह्मण को मौत के घाट उतारा।

श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 फरवरी, 1980 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 1983

नियम

सं० 9/1/83-के० से० —II-अगस्त, 1983 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, पर्यटन विभाग तथा भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किए जाएंगे ।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचिया (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन, अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1950, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पाडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967, संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 ।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा ।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा ।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 अगस्त, 1983 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(क) 1 अगस्त, 1983 को केन्द्रीय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा पर्यटन विभाग के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में उसकी 3 वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा पर्यटन विभाग के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए ।

परन्तु यदि भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिए ।

टिप्पणी 1—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पर्यटन विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो ।

टिप्पणी 2—अनुमोदित तथा लगातार सेवा की 3 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी, यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो ।

टिप्पणी 3—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसमें 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यवर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा; अथवा

टिप्पणी 4—ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति में हों उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा तथा वह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा अथवा भारत के निर्वाचन आयोग के सचिवालय अथवा पर्यटन विभाग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों ।

(2) आयु :—

(क) 1-8-1983 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1933 से पूर्व नहीं हुआ हो ।

(ख) उपरलिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का हो और श्रीलंका से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया, संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जाँबिया, मालावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केन्या, उगाण्डा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मालावी, जेरे और इथोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणाम-स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रव-ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से सम्बन्धित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्व-रूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xiii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीम सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हों,

(x) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xv) यदि उम्मीदवार वियतनाम में भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया

हो और वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक, और

(xvi) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो तो अधिक से अधिक 10 वर्ष ।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी ।

(3) टंकण परीक्षा :—यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथ प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कन्ध)/अधीनस्थ सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की मासिक/तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए ।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने —

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप के कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग में (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा, जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए, अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से, वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा ।

9. उन उम्मीदवारों को छोड़कर जो इस आयोग की विज्ञप्ति के उपबन्धों के अनुसार फीस माफी का दावा करते हों, बाकी उम्मीदवारों को निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना चाहिए ।

10. आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की चार अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गए हों ।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सके, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना, यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी ।

टिप्पणी :—उम्मीदवार को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन) । इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाए, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है । इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाये ।

11. हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है ।

किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जाएगा ।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/ रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/ पर्यटन विभाग के अपने पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निःसवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के० स० लि० से०/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/निर्वाचन आयोग/पर्यटन विभाग के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रति-नियुक्त किया जा चुका हो ।

एच० जी० मंडल अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1—नीचे परिच्छेद 2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा ।

भाग 2—आयोग द्वारा विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवावृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे ।

2. भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
(1) निबन्ध तथा सार-लेखन		
(क) निबन्ध 50	100	2 घण्टे
(ख) सार-लेखन 50		
(2) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति	100	2 घण्टे
(3) सामान्य ज्ञान	100	2 घण्टे

टिप्पणी:—निम्नलिखित तीनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए टिप्पण, प्रारूप-लेखन तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा पर्यटन विभाग,

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

और

(iii) निर्वाचन आयोग

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा ।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्रों अर्थात (i) निबन्ध तथा सार-लेखन, अथवा (ii) टिप्पणी लेखन/मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति अथवा (iii) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न-पत्र का उत्तर उभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है ।

टिप्पणी 1—यह विकल्प पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न-पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए ।

टिप्पणी 2—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह आवेदन-पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देना चाहिए । अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे ।

टिप्पणी 3—एक बार रखा गया विकल्प अन्तिम माना जाएगा और आवेदन-पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबन्धित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 4—प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे ।

टिप्पणी 5—उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा ।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है ।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जाएंगे ।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

(1) निबन्ध तथा सार लेखन

(क) निबन्ध—विहित कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा ।

(ख) सार लेखन-सूक्ष्म सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद दिए जायेंगे ।

(2) टिप्पणी व अलेख तथा कार्यालय पद्धति—इस प्रश्न-पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है ।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा पर्यटन विभाग के उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर)—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट्स आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड, राज्य सभा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की हस्त-पुस्तिका और इस प्रयोजन के लिए राजभाषा के प्रयोग से सम्बन्धित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें ।

भारत के निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मैनुअल आफ आफिस प्रोसीजर) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से सम्बद्ध गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें ।

(3) सामान्य ज्ञान—सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान तथा राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है । प्रत्याशियों के उत्तरों से उनके लिए किन्हीं पाठ्य-पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा नहीं अपितु उन प्रश्नों को बुद्धिमत्तापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो ।

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक फरवरी 1982

नियम

सं० 10/4/82-के० से.-II—कर्मचारी चयन आयोग, (गृह मंत्रालय) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "घ" में अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1983, के दौरान प्रत्येक दो महीने में एक बार एक महीने के द्वितीय शनिवार तथा रविवार और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद पड़ने वाली छुट्टी/रविवार को ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम जन साधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

2—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा और कर्मचारी चयन आयोग को इसकी सूचना आयोग द्वारा परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने से पहले दे दी जायगी । प्रत्येक परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या लगभग 50 होगी । भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित रिक्तियों के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण किए जायेंगे ।

(1) भूतपूर्व सैनिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में, जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं भी शामिल है, किन्तु जिनके अन्तर्गत आसाम राइफल्स, सेना सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना नहीं आते, शपथ ग्रहण के पश्चात् कम से कम छह मास की निरन्तर अवधि तक किसी रैंक में (चाहे योद्धा के रूप में या गैर-योद्धा के रूप में) सेवा की है, और

(क) जिसे उसके अपने अनुरोध पर या कदाचार अथवा दक्षता के कारण पदच्युति या बर्खास्तगी के कारण के अलावा अन्य किसी रूप में निर्मुक्त कर दिया गया है, अथवा ऐसी निर्मुक्ति तक के लिए रिजर्व को स्थानान्तरित कर दिया गया है, या

(ख) जिसे यथा पूर्वोक्त निर्मुक्त या रिजर्व को स्थानान्तरित किये जाने के लिए हकदार बनने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक छह मास सेवा करनी है; या

(ग) जिसे संघ की सशस्त्र सेनाओं में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् उसके अपने ही अनुरोध पर निर्मुक्त कर दिया गया है ।

(ii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से ऐसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (शरीर के निचले अंग) अभिप्रेत है जिन्हें शरीरिक दोष हों अथवा अंग-विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डी, पेशियों तथा जोड़ों में सामान्य रूप से बाधा पैदा होती हो और जो व्यक्ति आंशिक रूप से बहरे हों ।

परीक्षा में बैठने वाले शारीरिक रूप से विकलांगों तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों को सहायक लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(iii) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति), आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) संघ राज्य क्षेत्र (आदेश 1951) (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) (सूचियां) (संशोधन) आदेश 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधि-

नियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968 तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978 ।

3—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट–I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी । प्रदेश के प्रयोजन के लिए उन्हें अपने आवेदन पत्र परिशिष्ट–II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सादे कागज पर भेजने होंगे । इन आवेदन पत्रों को सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा संवीक्षा के बाद परीक्षा लिए जाने वाले महीने के पूर्ववर्ती महीने की अधिक से अधिक 1 तारीख तक कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेषित कर दिया जाएगा ।

4. नियमित रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई भी स्थायी या अस्थायी अवर श्रेणी/उच्च श्रेणी लिपिक इस परीक्षा में बैठने तथा उन रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा ।

4 (1) सेवाकाल :—उसने "निर्णायक तारी" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ") प्रतियोगिता परीक्षाएं (विनियम, 1969 के विनियम 2 (क) में पारिभाषित है) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड में कम से कम 2 वर्षों की अनुमोदित और लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो ।

टिप्पणी 2:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड या उच्च श्रेणी के वे अधिकारी जो सूक्ष्म प्राधिकारी की स्वीकृति से निःसंवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर है, यदि अन्यथा पात्र हो तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी निःसंवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो ।

टिप्पणी 3—अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 के आरम्भ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के किसी संवर्ग में आबंटन हो या उसके पश्चात उस सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च ग्रेड में दीर्घ कालीन आधार पर जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य पद्धति ने अनुसार नियुक्त हों ।

(2) आयु : इस परीक्षा के लिए किसी उम्मीदवार की आयु "निर्णायक तारीख" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ") [प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1969 के नियम 2 (ख) में पारिभाषित है] 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(3) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छ महीने की निरन्तर सेवा की हो सशस्त्र सेना उनकी कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी । इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अथवा अनारक्षित सभी रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होने के हकदार होंगे ।

टिप्पणी :—उपरोक्त नियम 3 के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आह्वान पर सेवा ("काल आफ सर्विस") की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी ।

5—ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में ओर ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सदभाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सदभाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सदभाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत

मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(vii) यदि उम्मीदवार वर्गों से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(viii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और वर्षों से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गये रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(xi) 1971 के भारत पकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणाम-स्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा-बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(xii) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः/भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(xiv) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तथा भारत मूलक का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (भारतीय पारपत्र-धारी) है तथा साथ ही वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी आपात्काल प्रमाण-पत्र रखने वाला ऐसा उम्मीदवार है जो वियतनाम में जुलाई, 1975 के बाद आया है तो अधिकतम आठ वर्ष तक ; और

(xv) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है और वह आंशिक रूप से बहरा है तो अधिक से अधिक 10 वर्ष ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है ।

6. परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार अगली परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा, परन्तु उससे अगली या उसके बाद की ही परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जिसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश पत्र न हो ।

8. सामान्य उम्मीदवारों को रु० 8-00 (केवल रु० आठ) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रु० 2-00 (केवल रु० दो) की निर्धारित फीस पोस्टल आर्डरों या बैंक ड्राफ्टों के द्वारा देनी होगी । भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कोई फीस नहीं दी जानी है ।

9. अपने उम्मीदवारों के लिए किसी भी साधन द्वारा समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए जाने से प्रवेश के लिए उसे अनर्हक किया जा सकेगा ।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति के छद्म रूप से कार्य-साधन कराया है अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं । जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठा वक्तव्य दिया है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

(xi) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जान वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

2. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा एक सूची में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार रखा जाएगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों को, जितनों को आयोग द्वारा उत्तीर्ण समझा जाएगा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "घ" के पदों में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी ।

लेकिन यह भी शर्त है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई हो तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य स्तर के अनुसार उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपर्युक्त घोषित कर देन पर उसे सेवा/पद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान् किए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी । आयोग द्वारा जिन भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाएगा वे उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त होने के पात्र होंगें चाहे इस परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो ।

परन्तु यह भी कि यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों से संबंधित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हो, तो आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जाए बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं में चयन के लिए उपर्युक्त हों ।

परन्तु यह भी कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का कोई भूतपूर्व सैनिक चुन लिया जाता है तो उसके चयन की गणना आरक्षण के ऐसे सम्पूर्ण कोटा के प्रति की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के लिए उपबन्धित किया जाए ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक । परीक्षा के लिए परिणामों के आधार पर सेवा के ग्रेड "घ" में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने के लिए सरकार पूर्णता सक्षम है । अतः किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तार पर ग्रेड "घ" आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा ।

12. अलग अलग उम्मीदवारों के परीक्षा-परिणामों की सूचना के स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय किया जाएगा और आयोग उसके साथ परीक्षाफल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा ।

13. परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि सरकार द्वारा यथावश्यक जांच पड़ताल न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र की दृष्टि से चयन के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है ।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात् अथवा उसमें बैठने के पश्चात् अपने पद से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है । अथवा उसके साथ विच्छेद कर लेता है, उसके विभाग द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार, "स्थानान्तरण" पर किसी संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय, लिपिक सेवा में उसका पूर्ण ग्रहणाधिकार नहीं होता है उस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है ।

एच० जी० मंडल, अवर सचिव

परिशिष्ट—1

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में या हिन्दी में 10 मिनट की एक श्रुतलेख की परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से देनी होगी। जो उम्मीदवार अंग्रेजी परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें 65 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमशः 75 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा। आशुलिपि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 300 होंगे।

टिप्पणी :—जो उम्मीदवार आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और जो उम्मीदवार आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी होगी।

2. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइप राइटर पर लिप्यान्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपने साथ अपने टाईपराइटर लाने होंगे।

परिशिष्ट— II

प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग

ग्रेड "घ" आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा

अन्तिम तारीख-परीक्षा के महीने में
पहले के महीने की 10 तारीख ————

यहां उम्मीदवार के पास-पोर्ट साइज के फोटो की हस्ताक्षरित प्रति चिपकाई जाए। दूसरी हस्ताक्षरित फोटो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(1) पोस्टल आर्डस/बैंक ड्राफ्ट का विवरण और मूल्य

(2) उम्मीदवार का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी (साफ अक्षरों में)

(3) सही जन्म तिथि (इस्वी सन् में)

(4) जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हों उसका नाम तथा पता

(5) क्या आप :

(i) अनुसूचित जाति————

(ii) अनुसूचित जन जाति ————

(iii) भूतपूर्व सैनिक————

(iv) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है ?———— तो उत्तर हां अथवा नहीं में दें।

(6) (i) पिता का नाम————

(ii) पति का नाम————
(महिला उम्मीदवार के मामले में)

(7) जिस भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में आप आशुलिपि परीक्षा देना चाहते हों, उसका नाम लिखें।

(8) क्या आप पिछली परीक्षा में बैठे थे ? यदि हां तो अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा का महीना लिखें।

(9) क्या आप केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड/उच्च श्रेणी ग्रेड के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी हैं ? और क्या आपने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें परीक्षा होनी है संगत ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की अनुमोदित लगातार सेवा कर ली है।

(10) यदि आप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा संवर्ग बाह्य पद पर स्थानान्तरण के आधार पर हैं तो क्या आप पूर्व पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखेंगे।

————
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाने के लिए जिसमें उम्मीदवार सेवा कर रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि :—

(1) आवेदन पत्र के कालमों में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रतिष्टियों को उसके सेवा रिकार्डों से जांच कर ली गई और वे सही हैं।

(2) उसके आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है और प्रमाणित किया जाता है कि वह नियमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है तथा वह परीक्षा में बैठने के लिए सभी तरह से पात्र है।

हस्ताक्षर ————
नाम ————
पदनाम————
विभाग/ कार्यालय ————

संख्या————
तारीख————

टिप्पणी : जो उम्मीदवार एक बार फेल हो जाता है वह केवल अगले तीनों महीनों के बाद की परीक्षा में बैठ सकता है अर्थात जो उम्मीदवार अप्रैल में ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो जाए तो वह अगस्त अथवा उसके बाद होने वाली परीक्षा 2 में बैठ सकता है।

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1983

नियम

सं० 6/4/83-के०से०-1—निम्नलिखित सेवाओं /पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1983 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग का ग्रेड IV (सहायक)

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड;

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड;

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड; और

(v) भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों में सहायकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं है।

1. कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में बताई जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जायेंगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जायेगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिनके लिये पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही दिया जायेगा।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो; उसे तीन प्रयास से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह प्रतिबन्ध वर्ष 1962 की परीक्षा के समय से लागू है।

नोट 1:—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए मान लिया जायेगा कि वह उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिए एक प्रयास कर चुका है।

नोट 2 :—यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः एक या अधिक विषयों में बैठा हो तो यह मान लिया जायेगा कि वह परीक्षा के लिए एक प्रयास कर चुका है।

नोट 3:—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उसके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जायेगा चाहे वह परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाये। उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6(क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि 1 जनवरी, 1983 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हो अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1958 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1963 के बाद न हुआ हो।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कम से कम 3 वर्ष की लगातार तथा नियमित सेवा 1 जनवरी, 1983 तक कर लेने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों/स्टेनोग्राफरों ग्रेड घ के मामलें में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जा सकेगी।

ऐसे पदों पर कार्य कर रहे उम्मीदवार जिनका पदनाम लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ नहीं है इस उप नियम के अन्तर्गत आयु में छूटपाने के पात्र नहीं होंगें भले ही उनके द्वारा धारित पद समान वेतनमान के ही क्यों न हों।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(vi) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(viii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंजानिया और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो, तो जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और भारत सरकार से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रवासित हो या जाम्बिया मलावी, जेरे और इथियोपिया से भारत मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाण पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई 1975 से पहले भारत नहीं आया है तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xiii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा ही उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाणपत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 75 के बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1983 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल से समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं) इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1983 को छः महीनों के अंदर पूरा होना है उनके मामलें में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिको और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1983 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1983 को छः महीने के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक।

(xvi) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और पहली जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(xvii) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और पहली जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 73 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

नोट :— जिस उम्मीदवार को नियम 6(ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश न दिया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं किन्तु आवेदन पत्र भेजते समय यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा। जो लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त है या जिसका किसी अन्य पद स्थानान्तरण हो जाता है किन्तु जिस पद पर से स्थानान्तरित हुआ है उस पर उसका लियन बना रहता है वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा।

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान सभा मण्डल द्वारा नियमित किसी विश्व विद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पणी I— ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष हो रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी II— कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिये शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी III— विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थाई या अस्थाई रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हुए हों पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों या वे जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत है उन सब को इस आशय का परिवचन (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिये आवेदन किया।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा-6 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो अथवा

(v) गलत या झूठे व्यक्तव्य दिये हैं या किसी महत्व-पूर्ण तथ्य को छिपाया है अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यव-हार किया हो,

(x) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।

(xi) उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो।

(xii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक—

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्या-वेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्या-वेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिये गये कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनायेगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यताक्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गये हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिय आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता-क्रम में उनका कोई भी स्थान हो नियुक्ति के लिये अनुशंसित किए जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे और आयोग परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं के अध्याधीन परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताये गये वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जायेगा। यह आवेदन-पत्र आयोग द्वारा उसको तभी दिया जायेगा जब वह उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त घोषित कर दिया जाता है।

16. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

17. उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति पास करनी होगी। यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाये और परीक्षा पास कर लेने पर या उस से छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जायेगा कि उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी परन्तु जितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा।

18. जिन व्यक्ति ने–

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है तो वह सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाये। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किये जाने की संभावना है।

20. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता इसके लिये आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववत की दृष्टि से इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है।

21. भारतीय विदेश सेवा (घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट II में संक्षेप में दी गई हैं।

डी० के० जोहरी
अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1983

नियम

सं० 6/4/83-के०से० I—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1983 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिये प्रकाशित किये जा रहे हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग का ग्रेड (सहायक)

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड;

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड;

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड; और

(v) भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों में सहायकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं है।

1. कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकता है।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में बताई जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जायेंगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्धारित ढंग से ली जायेगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा,

श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया और वियतनाम से आया हो ।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिये ।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिनके लिये पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही दिया जायेगा ।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का न हो, उसे तीन प्रयास से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी । यह प्रतिबन्ध वर्ष 1962 की परीक्षा के समय से लागू है ।

नोट 1 .—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिये मान लिया जायेगा कि वह उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिये एक प्रयास कर चुका है ।

नोट 2. —यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः एक या अधिक विषयों में बैठा हो तो यह मान लिया जाएगा कि वह परीक्षा के लिए एक प्रयास कर चुका है ।

नोट 3. —उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उसके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाहे वह परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाए । उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

6 (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि 1 जनवरी, 1983 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1958 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1963 के बाद न हुआ हो ।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कम से कम 3 वर्ष की लगातार तथा नियमित सेवा 1 जनवरी, 1983 तक कर लेने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ के मामले में 30 वर्ष की आयु तक ढील दी जा सकेगी ।

ऐसे पदों पर कार्य कर रहे उम्मीदवार जिनका पदनाम लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ नहीं है इस उप नियम के अन्तर्गत आयु में छूट पाने के पात्र नहीं होंगे भले ही उनके द्वारा धारित पद समान वेतन-मान के ही क्यों न हों ।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष ।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष ।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष ।

(vi) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(viii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंजानिया और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो, जो जाम्बिया, मलावी, जेरे

और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और भारत सरकार से वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रवासित हो या जाम्बिया मलावी, जेरे और इथियोपिया से भारत मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष ।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाण-पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई 1975 से पहले भारत नहीं आया है तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(xiii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा ही उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाणपत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 75 के बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपात्कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1983 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1983 को छः महीनों के अंदर पूरा होना है उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपात्कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1983 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1983 को छः महीने के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक ।

(xvi) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और पहली जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(xvii) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और पहली जनवरी, 71 तथा 31 मार्च, 73 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

नोट :—जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश न दिया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं किन्तु आवेदन पत्र भेजते समय यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा । जो लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/स्टेनोग्राफर ग्रेड घ सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त है या जिसका किसी अन्य पद स्थानान्तरण हो जाता है किन्तु जिस पद पर से स्थानान्तरित हुआ है उस पर उसका लियन बना रहता है वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा ।

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान सभा मण्डल द्वारा नियमित किसी विश्व विद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री होनी चाहिए ।

टिप्पणी i :—ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष हो रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी ii :—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा ।

टिप्पणी iii:—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थाई या अस्थाई रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हुए हों पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों या वे जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हैं उन सबको इस आशय का परिवचन (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो ।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा-6 में निर्धारित फीस देनी होगी ।

12. जिस उम्मीदवार ने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारों के लिए समर्थन प्राप्त किया है अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो अथवा

(v) गलत या झूठे व्यक्तव्य दिए हैं या किसी महत्व-पूर्ण तथ्य को छिपाया है अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो,

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

(xi) उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो ।

(xii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई नियुक्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक—

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता-क्रम में उनका कोई भी स्थान हो नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाये इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे और आयोग परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं के अध्याधीन परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा। यह आवेदन-पत्र आयोग द्वारा उसको तभी दिया जायेगा जब वह उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त घोषित कर दिया जाता है।

16. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

17. उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति पास करनी होगी। यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाये और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जायेगा कि उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा।

18. जिन व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें कोई ऐसा शारिरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाये। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की संभावना है।

20. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाये कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

21. भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट II में संक्षेप्त में दी गई हैं।

डी० के० जौहरी, अवर सचिव

परिशिष्ट–I

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

क्र० सं०	विषय	कोड सं०	पूर्णांक	दिया गया समय
1.	निबन्ध	01	100	2 घंटे
2.	अंग्रेजी—दो भागों में (I और II)		200	3 घंटे
	भाग I	02		1 घंटा
	भाग II	03		2 घंटे
3.	अंकगणित	04	100	2 घंटे
5.	सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल भी सम्मिलित है	05	100	2 घंटे

ध्यान दें :—यदि कोई उम्मीदवार अंग्रेजी प्रश्नपत्र के मामले में अनुमत समय सीमा में परीक्षा भवन में नहीं पहुंचता है और उसे भाग I परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता है तो वह उक्त प्रश्न पत्र की भाग II परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा।

2. अंग्रेजी भाग 1 अंकगणित और सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है के प्रश्न-पत्रों में वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे।

3. परीक्षा का पाठ्यविवरण साथ अनुसूची में दिया गया है।

4. उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 3 या प्रश्न पत्र 4 अथवा तीनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा। निबन्ध, अंकगणित तथा सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है के प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जायेंगे।

नोट 1—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा उसी प्रश्न-पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं।

नोट 2—उक्त प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 14 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए नहीं तो यह समझा जायेगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

एक बार लिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि उम्मीदवार प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर आवेदन पत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम में लिखते हैं तो उन उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

जो उम्मीदवार किसी या किन्हीं प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प दे चुके हैं वे अगर चाहें तो हिन्दी की तकनीकी शब्दावली यदि कोई हो, के साथ-साथ अंग्रेजी पर्याय भी दे सकते हैं।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपनी विवेक्षा पर परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जायेंगे।

8. खराब लिखाई के कारण प्रत्येक विषय के पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जायेंगे।

9. निबन्ध तथा अंग्रेजी भाग II में कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष श्रेय दिया जाएगा।

10. प्रश्न पत्रों, जहां आवश्यक हो, तोलों और मापों की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 5, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

12. उम्मीदवार वस्तुपूरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या

(1) निबन्ध (कोड सं० 01) : —दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।

(2) अंग्रेजी

अंग्रेजी भाग 1 (कोड सं० 02)—प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा इस भाषा में सही तथा प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का पता चल सके।

अंग्रेजी भाग 2 (कोड सं० 03)—प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनसे उम्मीदवारों की अच्छी अंग्रेजी-लेखन तथा सार लेखन की सामर्थ्य का पता चल सके।

(3) अंकगणित (कोड सं० 04)—संख्याओं, आरेखों, प्रारम्भिक सांख्यिकी तथा अंकगणित के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाएगा।

(4) सामान्य ज्ञान—जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है (कोड सं० 05) सामाजिक घटनाओं का ज्ञान जो कुछ हम प्रतिदिन देखते है और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान जो एक साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।

परिशिष्ट—II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)

विदेश मंत्रालय में और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक कौंसलर एवं वाणिज्यिक मिशनों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा वणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सम्मिलित हैं ग्रेड IV के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड, निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड	पदनाम	वेतनमान
ग्रेड 1	मुख्यालयों में अवर सचिव विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर प्रथम और द्वितीय सचिव	रु० 1200-50-1600
समेकित ग्रेड ii और iii	मुख्यालयों में सहचारी (अताशे) और अनुभाग अधिकारी विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में उपकांसुल और रजिस्ट्रार	रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो० 40-1200
ग्रेड iii	मुख्यालयों में तथा विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर सहायक—	रु० 425-15-500-द० रो० 15-560-20-700-द० रो०-25-800

टिप्पणी—समेकित ग्रेड II और III में पदोन्नति सहायकों को कम से कम 710/— रु० मासिक वेतन दिया जाता है।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों। प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा सकता है।

3. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य किसी सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जो चाहें भारत में अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किए जाएं सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. विदेशों में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त संबद्ध देशों में निर्वाह-व्यय आदि के अनुसार समय-समय पर स्वीकृत की जाने वाली दरों पर विदेश भत्ता भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भा० विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली 1961 के अनुसार जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों पर लागू हो गई है, विदेशों में सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी ग्राह्य हैं :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित मान के अनुसार सुसज्जित निःशुल्क आवास;

(ii) सहायता-प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अंतर्गत चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं;

(iii) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लिए गृह अवकाश-यात्रा;

(iv) सरकार द्वारा यथा परिभाषित आपातकाल जैसे भारत में किसी निकट संबंधी की मृत्यु अथवा गंभीर बीमारी के समय भारत जाने और विदेश में कार्यस्थल पर वापस लौटने के लिए जाने-आने का एकल हवाई यात्रा व्यय जो पूरी सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक दो बार मिलेगा;

(v) भारत में क्षेत्रीय शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत 6 से 22 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कुछ शर्तों पर छुट्टियों के दौरान अपने माता-पिता के पास आने जाने के लिए वार्षिक हवाई-यात्रा व्यय;

(vi) उक्त अधिकारी की विदेश में तैनाती स्थल पर अध्ययनरत 5 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा का व्यय जो अधिकतम दो बच्चों तक मिलेगा, कुछ शर्तों के अधीन सरकार द्वारा वहन किया जाता है;

(vii) विदेश में प्रति तैनाती पर रु० 1750/— परिमज्जा भत्ता, जो सारी सेवावधि के दौरान अधिक से अधिक 8 अवसरों तक मिलेगा।

6. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा 'ख') (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति), नियमावली, 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सरकार भविष्य में बनाए और उक्त सेवा पर लागू करे।

7. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग सहायक के ग्रेड IV में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा 'ख') (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति, नियमावली, 1964 में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

नोट—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड I के अधिकारियों के लिए भारतीय विदेश सेवा (क) के रु० 1200-50-1300-60-1600-द०-रो०-60-1900-100-2000 के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए सीमित कोटा उपलब्ध है।

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस समय निम्नलिखित 4 ग्रेड हैं:—

1. चयन ग्रेड (उपसचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1500-60-1800-100-2000।

2. ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1200-50-1600।

3. अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

4. सहायक ग्रेड—रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

टिप्पणी :—अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति सहायक कम से कम 710/— रु० प्र० मा० वेतन प्राप्त करते हैं सहायक के रूप में सीधे भर्ती हुए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसी परिवीक्षाएं देनी होंगी जो सरकार निर्धारित करे। यदि वे प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें और परीक्षाएं पास न कर सकें तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है।

परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

उक्त सेवा के सहायक ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की तरह अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किए जा सकते हैं।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती हुए अधिकारी :—

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, और

(ii) गैर अंशधायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उक्त निधि में अंशदान करेंगे जोकि रेल कर्मचारियों पर उनके सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से लागू हो जाते हैं।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नियुक्त कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पास और पी० टी० ओ० के हकदार होंगे।

जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उन पर वे ही नियम लागू हों जोगे केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

(iii) (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे 4 ग्रेड हैं :—

(1) चयन (सेलेक्शन) ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1500-60-1800-100-2000।

(2) ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1200-50-1600।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

(4) सहायक ग्रेड—रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

नोट—जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं उन्हें कम से कम 710 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा मुक्त किया जा सकता है।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त

कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है । तथापि उन्हें किसी भी समय किसी अन्य मंत्रालय का कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, वे अपनी इस नियुक्ति के बाद किसी अन्य संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे ।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
(1) चयन ग्रेड (संयुक्त निदेशक या वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अफसर) (ग्रुप क)	रु० 1500-60-1800
(2) सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप क)	रु० 1100-50-1600
(3) सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप ख-राजपत्रित)	रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-1000 द० रो०-40-1200
(4) सहायक (ग्रुप ख-अराजपत्रित)	रु० 425-15-500-द० रो० 15-560-20-700-द० रो० 25-800 ।

नोट :

(1) सहायक ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड में पदोन्नत होने पर सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 710 रु० का आरम्भिक वेतन दिया जाएगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा में रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है ।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को किसी सेना मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल हो रहे अन्तर सेना संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जाएगा । तथापि उन्हें किसी भी समय इसी प्रकार के किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए हैं, उनका ऐसी नियुक्ति के उपरान्त इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं होगा ।

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 1983

संकल्प

सं० ई० 11015(2)/83-हिन्दी(.)—यह फैसला किया गया है कि इस्पात और खान मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1981 के संकल्प सं० ई०-11015(2)/80—हिन्दी द्वारा गठित इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक श्री के० एस० रामचन्द्रन भी सदस्य होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य सरकारों/और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद-कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

प्र० गो० रामस्वामी,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th April 1983

No. 29-Pres./83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :-

Name and rank of the officer

Shri Narendra Singh Bhadoria,
Circle Inspector, Morena,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 1st January, 1979, information was received by the Police that the gang of dacoit Kaptan Mallah was present in the house of one Raghunath Gujar in Village Shivlal-Ka-Pura. The Police Force was divided into four Police Parties. While three of the Police parties were led by the Inspectors of Police, the fourth Police Party was led by the Deputy Superintendent of Police. Shri Narendra Singh Bhadoria led Police party No. 3. Three of the decoits were rounded in the field. But, before they were rounded up, they warned the remaining dacoints who had taken shelter in the house of Raghunath Gujor. Shri Bhadoria entered the house from the main entrance. Dacoit Kaptan Mallah had taken shelter behind a low wall and raised his muzzle to provide cover for the dacoits who tried to escape. In disregard of the risk involved, Shri Bhadoria rushed at dacoit Kaptan Mallah and snap kicked at the pointed muzzle. A close combat ensued in the course of which dacoit leader was shot dead.

Shri Narendra Singh Bhadoria thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st January, 1979.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.
to the President

New Dehi, the 18th April 1983

No. 30-Pres./83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Rajendra Singh Raghuwanshi,
Sub-Inspector of Police,
District Bhind,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 7th February, 1980, at 16.30 hours, Shri Rajendra Singh Raghuwanshi informed Superintendent of Police, Bhind, that he had definite [illegible] the presence of the part-gang of dacoit [illegible] fields of a nearby village. This gang was known as Gadariya Gang. On receiving instructions from the Superintendent of Polce, Shri Raghuwanshi collected entire force available to him at the Police Station and lost no time in [illegible] to the spot. The information received was that 5 [illegible] were hiding in the fields of Bishnu Nai, near Vil[illegible]. The Sub-Inspector divided the fearce into four parties and chalked out the programme to surround the bandits from three sides and to drive them out of the field. Party No. 1 was headed by PSI Shri P.S. Ghowdhury. Party No. 2 was headed by Shri Sohan Singh while Party No. 3 was headed by Shri Chheda Singh. The driving party was led by Shri Raghuwanshi himself. The dacoits were surrounded from three sides by the parties and No. 4 party started driving them out from the village Chhabawali. When the dacoits found themselves surrounded by all the sides they started a barrage of heavy fire at the driving party. From the firing Shri Raghuwanshi could locate the position of the dacoits in the field of Dwarka Brahmin. He alongwith his party crawled forward towards their position and went as near as 10/15 paces taking cover of the Arhar crops. Dacoit Lakhpat fired at Shri Raghuwanshi. The bullet dropped in front of the SI. about three yards away. Before the bandit could fire a second time, Shri Raghuwanshi fired two shots from his 12 Bore Gun and the bandit Lakhpat was seen falling-down. The parties continued firing at the dacoits. At about 19-15 hours the firing came to a stop. The field was searched and two dead bodies were found lying one with an N.P. bore Gun with 33 live rounds and 16 empties and the other with the half barrel of a 12 bore gun. The dead bodies were recognised as of Lakhpat Brahmin, Leader of the Gadariya Gang, and the other was of Kallan alias Govind Singh Kachhi. Shri Raghuwanshi, totally oblivious of his personal safety crawled just in front of the dacoit so as to command a good position and putting his own life in great danger, killed the notorious bandit Lakhpat Brahmin.

Shri Rajendra Singh Raghuwanshi thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th February, 1980.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.
to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 30th April 1983

No. 9/1/83-CS.II.—The Rules for a Limited Departmental competitive Examination for inclusion in the Select Lists for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service, Department of Tourism and Secretariat of Election Commission of India to be held by the Staff Selection Commission in August, 1983 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government. Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, the as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli), Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondecherry) Scheduled Castes Order, 1964, The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism, or the Election Commission of India who on the 1st August, 1983, satisfies the following condiions shall be eligible to appear at the examination.

(1) Length of Service

He should have on the 1st August, 1983 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service Railway Board Secretariat Clerical Service or in the post of Lower Division Clerk in the Department of Tourism or an approved and continuous service or not less than 3 years in the post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, Railway Board Secretariat Clerical Service or the Department of Tourism on the results of a competitive examination, including a limited Department Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that Grade.

Provided that if he had been appointed to a post of Lower Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India on the results of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the result of such examination should have been announced not less than 3 years before the crucial date and he should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that Grade.

NOTE 1.—The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a Candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Dpeartment of Tourism.

NOTE 2.—The limit of 3 years of approved and continuous service will also apply if the total rectionable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Secretariat of Election Commission of India.

NOTE 3.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or of the Secretariat of Election Commission of India or of Department of Tourism who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency, issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE 4.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This however, does not apply to a Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service or the Secretariat of Election Commission of India or Department of Tourism.

(2) Age—

(a) He should not be more than 50 years of age on 1st August, 1983 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1933.

(b) The Upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of order Security Force Personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975;

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975, and

(xvi) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(2) Typewriting Test.—Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing)/

Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature at any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period;

(i) by the commission from any examination or Selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them, and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the prescribed fee except those who are claiming fee concession in terms of provisions in the Commission's notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in four separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade upto the required number :

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

N*95.—Candidate should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper, Division Grade on the results of the examination is entirely, within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection;

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services are terminated by the Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service/Election Commission/Department of Tourism will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX

The examinaiton shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II.—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subjects		Maximum marks	Time allowed
(i) Essay and Precis Writing			
(a) Essay	50	100	2 hours
(b) Precis Writing	50		
(ii) Noting and Drafting and office Procedure	—	100	2 hours
(iii) General knowledge	—	100	2 hours

NOTE.—There will be separate papers on Noting, Drafting and office Procedure for candidates belonging to the three categories, viz.,

(i) C.S.C.S and Department of Tourism,

(ii) R.B.S.C.S., and

(iii) Election Commission.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the candition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing or (ii) Noting and Drafting and office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE I.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should [illegible] intention to do so clearly in column 6 of the [illegible]; otherwise, it would be presumed that [illegible] the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

NOTE 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

NOTE 5.—No credit will be given for answer written in a language other than the one opted by the candidate.

NOTE 5.—Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answer for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

1. Essay and Precis Writing :

(a) Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) Precis Writing—Passages will usually be set for summary or precis.

2. Noting and Drafting and office procedure—The paper on Noting and Drafting and office procedure will be designed to test the candidates knowledge of office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service and Department of Tourism are required to study the manual of office Procedure Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management—the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purposes of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Service are required to study the Manual of office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose.

Candidates belonging to Election Commission of India are required to study the Manual of Office Procedure, Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for Official purpose of the Union for this purpose.

3. **General Knowledge.**—The paper on General Knowledge will be intended inter alia to test the candidate's knowledge of Indian Geography as well as the country's administration. as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books reports etc.

New Delhi, the April, 1983

RULES

No. 10/4/82-CS.II.—The rules for competitive examinations to be held by the Staff Selection Commission (Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms), New Delhi, once every two months during the year 1983. On Second Saturday and Sunday and, if necessary, on the holiday/Sunday following thereafter, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers' Service are published for general information.

2. The number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service to be filled on the result of the examination will be determined by Government from time to time and intimated to the Staff Selection Commission before the results of the examinations are announced by the Commission. The approximate number from each examination will be 50. The Reservations will be made for candidates who are ex-servicemen, Scheduled Caste and Scheduled Tribe and physically handicapped in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

(i) Ex-serviceman means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as non-combatant), in the Armed Forces of the Union, including the Armed Forces of the former Indian States, but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation, and

(a) has been released, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(b) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid, or

(c) has been released at his own request, after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Physically handicapped person means an orthopaedically handicapped person (lower extremities) who have a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints and a person who is partially deaf.

No scribe will be allowed to the physically handicapped and other categories of persons appearing in the examination.

(iii) Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951; the Constitution Scheduled Tribes (Union Territories) Order 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act,

1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission, in the manner prescribed in the Appendix-I to these Rules. For the purpose of admission they will be required to submit applications, on plain paper as in the form given in Appendix-II, which shall after due scrutiny will be forwarded by the Ministry/Department/Office concerned to the Staff Selection Commission latest by the 1st of the month preceding the month in which the examination is to be held.

4. Any permanent or temporary regularly appointed LDC/UDC of the Central Secretariat Clerical Service, shall be eligible to appear at the examination and compete for the vacancies.

4(1). Length of Service : He should have, on the 'crucial date' (as defined under Regulation 2(a) of the Central Secretariat stenographers' Service Grade 'D' (Competitive Examination Regulations, 1969) rendered not less than two years approved and continuous service in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

Note 1 : The limit of two years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

Note 2 : Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service for the time being.

Note 3 : Regularly appointed officers to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means, an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the commencement of the Central Secretariat Clerical Service Rules 1962 or appointed thereafter on a long-term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Service as the case may be, according to the prescribed procedure.

(2) Age : A candidate for this examination should not be more than 50 years of age on the 'crucial date' [as defined under Regulation 2 (a) of the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D'] (Competitive Examination) (Regulations, 1969).
(3) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-servicemen who have put ninot less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Candidates admitted to the examination under this age consession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

Note :—The Period of 'call up service' of an ex-servicemen in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of Rule 3 above.

5. The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide displaced person from Erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in Operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam not earlier than July, 1975;

(xiv) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975; and

(xv) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person i.e. Orthopaedically handicapped and partially deaf.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate who fails in the examination will not be eligible to take the next examination but only that following the next examination or subsequent examination.

7. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

8. Candidates must pay the prescribed fee of Rs. 8/- (Rupees eight only) for general candidates and Rs. 2/- (Rupees two only) for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates either by postal orders or bank draft. No fees are payable by ex-servicemen.

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable —

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period —

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in one list, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D'.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Staff Selection Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of those candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination. Ex-servicemen who are considered by the Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be eligible to be appointed against the vacancies reserved for them, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission, by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen, subject to the fitness of these candidates for selection to the service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that if any ex-serviceman belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe is selected, his selection shall be counted against the overall quota of reservations as that shall be provided for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

NOTE : Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade 'D' of the Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade 'D' on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

13. Success in the examination confers no right to selection, unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX—I

Candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes respectively. The shorthand tests will carry a maximum of 300 marks.

NOTE : Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and vice versa, after their appointment.

2. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose, they will be required to bring their own typewriters with them.

APPENDIX—II

PROFORMA

STAFF SELECTION COMMISSION

GRADE 'D' STENOGRAPHERS COMPETITIVE EXAMINATION

Closing Date : 10th of the month previous to the month of the Examination.

Signed passport size photograph of the candidate to be pasted here. Another signed photograph should be firmly attached to the application.

(1) Particulars of Postal Orders/Bank Draft and the value . . .

(2) Name of the candidate (in capital letters) . Shri/Smt/Kum.

(3) Exact date of birth (in Christian Era) .

(4) Name and address of office where working. .

(5) Are you a .

(i) Scheduled Caste .

(ii) Scheduled Tribe .

(iii) Ex-Serviceman . .

(iv) Physically handicapped person ?
Answer 'Yes' or 'No'

(6) (i) Father's name . .

(ii) Husband's name (in case of lady candidate)

(7) State the language (Hindi or English) in which you wish to take the shorthand test. . .

(8) Whether appeared in the previous Examinations, If so, indicate the month and Roll No.

(9) Are you a permanent or temporary regularly appointed officer of the Lower Division Grade/ Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and have rendered not less than two years' approved & continuous Service in the relevant grade on the Ist January of the year in which the examination is held. . . .

(10) In case you are on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or the ex-cadre post is on transfer basis, State whether you continue to hold a lien on the previous post.

SIGNATURE OF CANDIDATE

TO BE FILLED BY THE HEAD OF DEPARTMENT OF THE OFFICE WHERE THE CANDIDATE IS SERVING

Certified that :—

(i) the entries made by the candidate in columns of the application have been verified with reference to his/her service records and are correct.

(ii) his application has been scrutinised and it is certified that he fulfils all the conditions laid down in the rules and is eligible in all respects to appear in the examination.

Signature :

Name :

Designation :

No. Deptt/Office:

Date :

NOTE : A candidate who once fails can take the examination only after another three months, i.e. a candidate who fails in the examination to be held in April, can take the examination to be held in August or subsequently.

New Delhi, the 30th April 1983

RULES

No. 6/4/83-CS.(I).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1983 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Grade IV (Assistants) of General Cadre of the Indian Foreign Service (B).

(ii) Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service.

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service.

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Head-quarters Civil Service; and

(v) Posts of Assistant in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service.

1. A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination. The restriction is effective from the examination held in 1962.

Note 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

Note 2.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

No. 3.—Notwithstanding the disqualification/cancellation, the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January, 1983 i.e., he must have been born not earlier than the 2nd January, 1958 and not later than the 1st January, 1963.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs/Stenographers Grade D with not less than 3 years continuous and regular service on 1st January, 1983 in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the Office of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

Candidates holding posts, which are not designated as LDC/UDC/Stenographer Grade D will not be eligible for age relaxation under this sub-rule, even though the posts held by them are in an identical pay scale.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person, from erstwhile East Pakistan (Now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (Now Bangladesh and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xiv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1983 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January, 1983) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in the case of ex-servicemen and commissioned officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1983 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January, 1983) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

Note.—The candidature of a person who is admitted to the examination under Rule 6(b) shall be cancelled if after submtting his application he resigns from service or his services are terminated by his Department either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible, if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

An L.D.C./U.D.C./Stenographer Grade D who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from where he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

Note I.—Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degrees will also be eligible for admission to the examination.

Note II.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

Note III.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service whether in a permanent or in a temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or daily rated employees, or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communcation is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for this candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred, either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preference expressed by a candidate for various Services/posts in the detailed application form which will be supplied to him by the Commission if he is declared finally qualfied on the result of the examination.

16. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

17. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event

of their failure to pass the test within the prescribed period they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistant's Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order ; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withhold, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

18. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requrements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

20. Success at examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his ccharacter and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

21. Conditions of Service for Assistants in the Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Central Secretariat Service and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix II.

D. K. JOHRI, Under Secy.

New Delhi, the 30th April 1983

Rules

No. 6/4/83-CS(1).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1983 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Grade IV (Assistants) of General Cardc of the Indian Foreign Service (B);

(ii) Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service;

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service;

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service; and

(v) Posts of Assistant in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service.

1. A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I. to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :——

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formely Tanganyika and Zanzibar). Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently setting in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Schedule Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination. The restriction is effective from the examination held in 1962.

Note 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

Note 2.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

Note 3.—Notwithstanding the disqualification/cancellation, the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January, 1983 i.e., he must have been born not earlier than the 2nd January, 1958 and not later than the 1st January, 1963.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs/Stenographers Grade D with not less than 3 years continuous and regular service on 1st January, 1983 in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the Office of the Election Commission and the Central Vigilance Commissioner in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

Candidates holding posts, which are not designated as LDC/UDC/Stenographer Grade D will not be eligible for age relaxation under this sub-rule, even though the posts held by them are in identical pay scale.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced persons, from erstwhile East Pakistan (New Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March, 1971,

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (Now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a miximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide repatriate of Indian origin from Burma* and has migrated to India on or after 1st June, 1963,

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(ix) up to maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabeld in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin (Indian passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1983 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January, 1983 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xv) up to a miximum of ten years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including EWs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1983 and have been released on complition of assignment (including those whose assignment due to be completed within six months from 1st January, 1983) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xvi) up to a miximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

Note :—The candidature of a person who is admitted to the examination under Rule 6(b) shall be cancelled if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his Department either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible, if he is retrenched from the Service or post after *submitting his application.*

An L.D.C./U.D.C./Stenographer Grade D who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from where he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equipvalent qualification.

Note I.—Candidates possessing professional and techincal qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degrees will also be eligible for admission to the examination.

Note II.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

Note III.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service whether in a permanent or in a temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or daily rated employees, or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impresonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred, either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, s-ubmitted by the candidate, within the period allowed to him,- into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be fielled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preference expressed by a candidate for various Services/Posts in the detailed application from which will be supplied to him by the Commission if he is decleared finally qualified on the result of the examination.

16. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended if considered necessary.

17. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years. The period of probation may be extended, if tants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

18. No person—

(a) who has entred into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to considered for appointment will be medically examined.

20. Success at the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

21. Conditions of Service for Assistants in the Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Central Secretariat Service and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix II.

D. K. JOHRI, Under Secy.

APPENDIX I

The subjects of the examination, the time alllowed and the maximum marks for each subject will be a-s follows :—

Sl. No.	Subject	Code No.	Max. Marks	Time Allowed
1.	Essay . .	01	100	2 hours
2.	English in two-parts (I&II)		200	3 hours
	Part I— . .	02		1 hour
	Part II— . .	03		2 hours
3.	Arithmetic . .	04	100	2 hours
4.	General Knowledge including Geography of India . .	05	100	2 hours

N.B.—In the case of the paper "English", if a candidate does not reach the Examination Hall within the permissible time limit and is not admitted to the examination in Part I of the paper, he will not be entitled to be admitted to Part II of the paper.

2. The question papers in English Part I. Arithmetic and General Knowledge including Geography of India will consist of objective type questions.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 3 or Paper 4 or all the three papers, either in Hindi (Devanagari) or in English. Paper 2 must be answered in English by all candidates. Question papers in Essay, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India, will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in col. 6 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper(s) of such candidates will not be valued.

Candidates who opt to answer any of the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fixe qualifying marks in any all subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for each subject will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and enact expression, combined with due economy of words in Essay and English Part II of the examination.

10. In the question papers, wherever necesary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

11. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

12. Candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They *should not*, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) *Essay* (Code No. 01)—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) English :

English Part I (*Code No.* 02)—Paper will be designed to test the candidates ability to understand English and write in that language correctly and effectively.

English Part II (Code No. 03)—Paper will consist of questions designed to test candidates ability to write good English and for precis writing.

(3) *Arithmetic* (Code No. 04)—There will be greater emphasis on understanding of numbers, graphs, elementary statistics and arithmetics.

(4) *General Knowledge Including Geography of India* (Code No. 05)—Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature, which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/Posts to which recruitment is being made through this examination.

(i) *Indian Foreign Service (B).*—

All posts of Assistans in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :—

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and second Secretaries in Missions and posts abroad	Rs. 1200-50-1600
Integrated Grades II & III	Attache and Section Officer at Hqrs. Vice-Consuls and Registrars in Missions and Posts abroad.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions and Posts abroad	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800

NOTE : Assistants promoted to the Integrated Grades II & III are allowed a minimum pay of Rs. 710/- p.m.

2. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts include in the Cadre of the Central Secretariat Service or any other Service. Further, all such persons will be liable to serve in any posts either in India or abroad to which they may be posted.

5. During service abroad, IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS(B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government;

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme;

(iii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules;

(iv) Return sigle Air Passage to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout the officer's service for emergencies such as the death or serious illness of a near relation in India as may be defined by the Government.

(v) Annual return air passage for children between the ages of 6 and 22 studying in regional educational institution in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions;

(vi) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the ages of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Government subject to certain conditions.

(vii) Outfit allowance Rs. 1,750/- per posting abroad subject to maximum of 8 occasions during the entire career.

6. All Officer appointed to the IFS(B), will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion), Rules 1964 and also to other rules and regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the IFS(B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE :—In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Carde, Seniority and Promotion) Rules, 1964. a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 1200—50—1300—60—1600— EB —60—1900—100—2000.

(ii) *The Railway Board Secretariat Service*

The Railway Board Secretariat Service has at present 4 grades as follows :—

1. Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent), Rs. 1500—60—1800—100—2000.

2. Grade I (Under Secretary or equivalent) Rs. 1200—50—1600.

3. Section Officers Grade—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—1000—EB—40—1200.

4. Assistants Grade.—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE : Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum of Rs. 710 p.m.

Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

Persons recruited to Assistant's Grade of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

The Railway Board Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Service.

Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) Will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they jointd the service.

The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Service will be entitled to the privlege of passes and privilege ticket orders in accordance with the orders issued by the Railways Board from time to time.

As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Service are treated in the same way as other railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) *Central Secretariat Service*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)—Rs. 1200—50—1600.

(3) Section Officers Grade Rs. 650—30—740—35—810—EB—880—40—1000—EB—40—12000.

(4) Assistants Grade—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 710 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in any other cadre.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

Grade	Scale of pay
(1) Selection Grade (Joint Director or Senior Civilian Staff Officer) (Group)	Rs. 1500-60-1800.
(2) Civilian Staff Officer (Group A)	Rs. 1100-50-1600
(3) Assistant Civilian Staff Officer (Group B—Gazetted)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.
(4) Assistant (Group B—non-gazetted)	Rs 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

NOTE.—An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Assistant Civil Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 710/- in the

scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistant will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been un-satisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to ap post not included in that Service.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 8th April 1983

RESOLUTION

No. E.11015/2/83-Hindi(.)—It has been decided to include Shri K. S. Ramachandran, Chairman-cum-Managing Director, National Aluminium Company Limited as member of the Ministry of Steel and Mines Hindi Salahkar Samiti constituted vide this Department's Resolution No. E. 11015/2/80-Hindi dated the 9th April, 1981.

ORDER

ORDERED that copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. G. RAMARAKHIANI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983